



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941
No. 404]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/ PAUSHA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 51/2015-20

विषय: पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता बढ़ाने हेतु।

फा. सं. 01/53/8/एम/20/पीएसआईए-2/आईसी.—विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.55 (घ) में यथा उल्लिखित प्रावधान में छूट देते हुए निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:—

विदेश व्यापार नीति (2015-20) के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता, जो दिनांक 31.12.2019 को अपनी तीन वर्षों की समयावधि पूरी करने जा रहे हैं तथा इसके साथ ही जिनकी वैधता दिनांक 31.12.2019 तक बढ़ाई गई थी, को आगे 31.03.2020 तक बढ़ाया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: ए एंड एनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध पूर्व पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की वैधता, जो 31.12.2019 को समाप्त हो रही है, को दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ाया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश
व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 51/2015-2020**Subject: Extension of validity of Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs).**

F. No. 01/53/8/AM/20/PSIA-2/IC.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-20), the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.55 (d) of the Handbook of Procedure, 2015-20, notifies as under:-

The validity of recognition of the Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) included in the Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy (2015-20) who are going to complete their tenure of three years on 31.12.2019 along with those whose validity was extended up to 31.12.2019 is further extended up to 31.03.2020.

Effect of this Public Notice: Validity of the Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, whose validity expires on 31.12.2019, is extended up to 31.03.2020.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade